क्षेत्रीय कार्यालय, झारखण्ड REGIONA OFFICE, JHARKHAND कर्मचारी राज्य बीमा निगम

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION नामकुम राँची -834001

दूरभाष : 0651-2261569, फैक्स : 2261581, 2261727

दिनांक/Date 28-10-2009

पत्रांक/आर./60=13637-101/1145-1 HANT INTERIOR SOLUTION SERVICES,

> E-79, E-BLOCK, SAINIK MARKET, MAIN ROAD, RANCHI- 834001

विषय : क॰रा॰बी॰ अधिनियम का कार्यान्वयन तथा संशोधित क॰रा॰बी॰ अधिनियम 1948 की धारा 2 (12) / 1 (5) के अधीन कर्मचारियों और कारखाना / स्थापना क पंजीयन। महोदय.

मुझे सूचित करना है कि क०रा०बी० अधिनियम की धारा-1(3) के अधीन केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना संव..... के उपबंध लागू किये है।

अधिनियम के उपबन्धों का विस्तार किया है।

3. अधिनियम की धारा 2A के अधीन इस प्रकार के कारखाना / स्थापना को अधिनियम के अन्तर्गत स्वयं को पंजीकृत करा लेना अपेक्षित है, और चैप्टर IV प्रधान नियोजक को अपने कर्मचारियों का बीमा कराने और अधिनियम के अन्तर्गत व्याप्त ऐसे कर्मचारियों से संबंधि ात अदा करने के लिए उत्तरदायी करार देता है।

4. आपके द्वारा प्रस्तुत कारखाना / स्थापना से संबंधित ब्यौरा, बीमा निरीक्षक / शाखा कार्यालय प्रबंधक द्वारा दिनांक 28-10-09 को अपकी स्थापना के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर आपका कारखाना / स्थापना दिनांक 01-9-209 से (P 00 V) अंतरिम रूप से अधिनियम की धारा 2 (12) / 1(5) की व्यक्ति में है। तथापि यदि अनुवर्ती तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि आपका कारखाना / स्थापना उपर उल्लिखित तिथि के पहले की तिथि से व्याप्तिय था तो अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन प्रारिमीक तिथि से ही

आपसे अनुरोध है कि अधिनियम के अधीन अपने कारखाना / स्थापना की व्याप्ति की तिथि से घोषणा प्रपन्न भरकर अंशदान विवरणी तैयार कर अंशदान का भुगतान कर एवं अभिलेखों का अनुरक्षण कर अपने कर्मचारियों के पंजीयन हेत् तत्काल कदम उठायें।

सुविधा के लिए आपकी स्थापना को कूट संख्या <u>६० - 1363 7 - 101</u> आबंटित की गई है। कृपया इस कूट संख्या को इस कार्यालय को भेजे गये सभी संवादों एवं प्रयोजन के निमित संकेतित सभी स्थानों को भेजे जानेवाले सभी प्रपत्रों में प्रयोग करें। निगम के शाखा कार्यालय को कि दिश दे दिये गये हैं कि योजना के संबंध में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर आपकी आवश्यक सहायता करें। आपसे अनुरोध है कि कृपया / उपर्युक्त शाखा कार्यालय के प्रबन्धक से संपर्क करें। वह इस मामले में आपकी आवश्यक सहायता करेंगे।

आपकी स्थापना में कर्मचायों को अपने राज्य बीमा औषधालय, बीमा चिकित्सा व्यवसायी के चचन हेतु बीमा चिकित्सा व्यवसायी राज्य बीमा औषधालय का प्रचारित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में अपेक्षित प्रपत्र आदि कृपया उपर उल्लिखित शाखा कार्यालय से प्राप्त करें। आपके सभी कर्मचारी उल्लिखित शाखा कार्यालय से संबद्ध होंगे।

निगम के कर्मचारी / अधिकारी कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अधीन आपके कर्तव्यों और दायित्वों के अनुपालन के लिए आपको सभी आवश्यक और संभव सहायता प्रदान करने में प्रसन्नता का अनुभव करेंगे और मेरा विश्वास है कि आपकी ओर से कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम और विनियमों के उपबंधों का शीघ्र और समय पर अनुपालन किया जायेगा।

प्रधान नियोजक (Principal Employer) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 40(1) तथा 41 के अन्तर्गत अपने ठीकेदार (क०रा०बी० क्ट संख्या सहित अथवा रहित) द्वारा नियोजित कर्मचारियों के देनदारी से मुक्त नहीं होगें

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक् कार्यवाई हेतु प्रेषित :

- बीमा निरीक्षक श्री अपने पूर्व कार रिक्स रहें ने को इस निर्देश के साथ प्रषित कि तीन माह के अन्दर अन्तिम रूप से व्याप्ति हेतू आवश्यक प्रतिवेदन भेजें।
- 2. २ ६ भेत्रीय कार्यालय प्रबन्धक 🛵 📻 🚉 कर् 🙏 र रेडिंग लेजर शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची।
- अंशदान शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची।